न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—185/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/185

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
1.जामताराम पुत्र गेनाराम 2. मोहनलाल पुत्र मोतीराम, 3. वीरमाराम पुत्र गेनाराम 4. कानाराम पुत्र रूगाराम, 5. भोमाराम पुत्र मोतीराम 6.श्रीमती जवीदेवी पत्नी गेनाराम उम्र 68 वर्ष, सभी जातियान कलबी निवासी नई बाली, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर ।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बागोडा, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बागोडा, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 306/2022 में निर्णय दिनांक 27/3/2022

उपस्थिति :—
1. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, चन्द्रप्रकाश वैष्णव विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः— 30/9/24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर के प्रकरण संख्या 306/2022 में निर्णय दिनांक 27.03.2022 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस अपीलाण्ट सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

30/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है।

उपखण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में धारा 131 व 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानो व राज्य सरकार के परिपत्र का बिलकुल गलत अर्थ निकाला है। अपीलार्थी की भूमि खसरा नं0 378 व 320 गांव देवदा का गोलिया तहसील बागोड़ा में से कोई रास्ता कभी भी नहीं चलता था बल्कि रास्ता खसरा नं0 311 में से चलता है जो मौके के छाया चित्र से स्पष्ट है परन्तु पटवारी ने जानबुझ कर गलत रिपोर्ट पेश की है एवं रास्ता खसरा नं0 378 व 320 की भूमि में होना बताया है जो सरासर गलत है ।

उपखण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व भूमि खसरा नं0 378 व 320 जिसके अपीलार्थी अभिलिखित खातेदार है उन्हे कोई नोटिस तक नही दिया एवं उसकी भूमि में रास्ता दर्ज करने का आदेश दे दिया ।

अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी की एकतरफा रिपोर्ट को आधार मानकर फैसला कर दिया । उक्त रिपोर्ट अपीलार्थी की गैर मौजुदगी में तैयार की गई जिसे अपीलार्थी के विरूद्ध पढा ही नही जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी के समक्ष चली कार्यवाही में अपीलार्थी को पक्षकार ही नहीं बनाया गया एवं तमाम कार्यवाही एकतरफा की गई यहां तक की कोई पत्रावली सधांरित ही नही की गई।

उपखण्ड अधिकारी ने राजस्व विभाग के जिस परिपत्र को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है उस परिपत्र की ऐसी कोई मंशा नहीं है एवं उसमें न ऐसे कोई निर्देश है एवं न हो सकते है। कोई भी परिपत्र कानून के मूल आधार से बाहर जाकर जारी नहीं किया जा सकता है। जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में रास्ते सम्बनी प्रावधान धारा 251 में पहले से है तो इस तरह के परिपत्र का कोई महत्व नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी ने उक्त परिपत्र को ठीक से समझा ही नहीं उक्त परिपत्र केवल सार्वजनिक रास्तो के मामलो में लागु होता है जबकी वर्तमान मामले में कोई रास्ता है ही नहीं। इतना ही नहीं उक्त परिपत्र में जिस तरह की प्रक्रिया अपना कर सार्वजनिक रास्तो का अंकन करने का निर्देश है उन निर्देशो की एवं निर्धारित प्रक्रिया की कोई पालना उपखण्ड अधिकारी द्वारा नहीं की गई है।

जिस परिपत्र का उल्लेख उपखण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में किया है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मूल भावना को नष्ट करने वाला एवं विध्वंसकारी है। ऐसे परिपत्र की कानून में कोई एहमीयत नहीं है एवं प्रशासनिक स्तर पर जारी किये गये इस तरह के परिपत्र से खातेदार को उसके अधिकारो से वंचित नहीं किया जा सकता है ।

30/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अपीलाधीन आदेश में राज्य सरकार के जिस परिपत्र का उल्लेख है वह परिपत्र एक निर्धारित समय के लिए जारी किया गया था उसे टेनेन्सी एक्ट अथवा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में किसी संशाधेन के रूप में नही देखा जा सकता एवं न वह कानून का स्थान ले सकता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई तमाम कार्यवाही अनाधिकारपूर्ण एवं गैर कानूनी होनेसे निरस्त करने योग्य है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे, अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2022 को खसरा नं0 378 व 320 गांव देवदा का गोलिया के संदर्भ में निरस्त किया जावे ।

5. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलीयों का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को ध्यान पूर्वक सुना गया नही है न ही परिपत्र के आधार पर रास्ता दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज करने के पश्चात् संबंधित पक्षकारो को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है न ही अपीलाण्ट को सी.पी.सी. के विधिक प्रावधानो के अनुसार सुना गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानो के अनुसार नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोडा के प्रकरण संख्या 306/2024 दिनांक 27.03.2022 को अपास्त किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोडा को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट्स को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद विधि सम्मत निर्णय पारित करै। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

30/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

7. यह निर्णय आज दिनांक 30/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

30/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)